क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांकः 3017/OA-360/22/2023 दिनांक 27.02.23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.01.2023 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्ठा (मै0 कृष्णा ईट उद्योग, ग्राम कांडली, तहसील इगलास, जनपद अलीगढ़) का निरीक्षण दिनांक 24.02.2023 को किया गया।

अतः निरीक्षण आख्या, ईट भट्ठे के नवीनतम फोटोग्राफ एवं संलग्नकों के साथ पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त निरीक्षण आख्या को मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल judicial-ngt@gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि–मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521, 509
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

**Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in the matter of O.A No. 360 of 2022 Munishankar Sharma V/s State of U.P. & Ors. as per order of Hon'ble National Green Tribunal dated 23.01.2023**

The Hon'ble National Green Tribunal has passed an order dated 23.01.2023 in O. A. No. 360 of 2022 Munishankar Sharma V/s State of U.P. & Ors, the operative part of which is quoted below:-

"-----*4. The Registry is directed to issue notice along with copies of the application and reports of the Joint Committee and the documents attached with the same to the owner of the Brick Kiln requiring him to file his reply/response within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.*

*5. Notice be served on the owner of the Brick Kiln through the UPPCB and for this purpose notice issued to the owner of the Brick Kiln be sent to the Member Secretary, UPPCB by email for getting service of the same effected on him within two weeks and sending his report to this Tribunal in this regard within one week thereafter.*

*6. In its report, the Joint Committee has mentioned that the gravity settling chamber of the Brick Kiln could not be verified due to bricks were filled in the trench and excavated soil was lying near the pond. The UPPCB is directed to get the inventory prepared of the bricks filled in the trench and to take appropriate steps for removal and utilization of the illegally excavated soil.*

*7. Action Taken Report regarding imposition and realization of Environmental Compensation, preparing of inventory of the bricks and removal and utilization of the excavated soil be submitted by the UPPCB to this Tribunal within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.*

*8. The sale of the bricks lying in the Brick Kiln shall be subject to further orders of this Tribunal and the Project Proponent will not be entitled to sell the same as environmental compensation to be imposed by the UPPCB shall be liable to be realized by sale of the same.*

*9. List for further consideration on 17.03.2023.*

*10. As already observed, the closure of the Brick Kiln has been ordered by the UPPCB. The District Magistrate, Aligarh and the Superintendent of Police, Aligarh are directed to take requisite steps for ensuring that the Brick Kiln does not operate illegally.*

*11. A copy of this order be forwarded to the UPPCB, the District Magistrate, Aligarh and the Superintendent of Police, Aligarh by email for requisite compliance."*

In compliance of Hon'ble NGT order passed on 23.01.2023 latest inspection was ... Krishna Ent Udhyog (old name-M/s Gandhi Ent Udhyog), ... of UPPCB, Mining officer &

iii. Brick kiln was found operational since 20.01.2022 to 21.02.2022 violating the closure order issued by U.P. Pollution Control Board. Considering 33 defaulter days Environmental Compensation of Rs. 4,12,500/- has been imposed by the UPPCB vide letter dated 30.12.2022. The copy of the letter Dated 30.12.2022 is enclosed as **Annexure-3.**

iv. A letter has been sent to District Magistrate, Aligarh by Regional Officer, UPPCB, Aligarh for recovery of the Environmental Compensation of Rs. 4,12,500/- from the brick kiln on 25.02.2023. The copy of the letter Dated 25.02.2023 is enclosed as **Annexure-4.**

v. Notice of the Hon'ble NGT along with reports of Joint Committee as per constituted by the Hon'ble NGT order dated 23.05.2022 was received by the Proprietor of the brick kiln Mr. Prem Shankar on 31.09.2022. The copy of the letter Dated 31.09.2022 is enclosed as **Annexure-5.**

vi. During inspection of the brick kiln it has been observed that approx-50 thousand raw bricks were found in trench of the brick kiln & approx-25 thousand pakki/red bricks also found stored in the premises of the brick kiln. As per the representative of the brick kiln approx-8 lacks raw bricks have been made. The copy of the Photographs is enclosed as **Annexure-6.**

vii. A show cause notice has been issued to the brick kiln by the Mining Officer, Aligarh for making raw bricks despite the closure order of UPPCB against the brick kiln is issued and the violation of the Mining Rules. The copy of the letter Dated 28.02.2023 is enclosed as **Annexure-7.**

With reference to the Hon'ble NGT order dated 23-01-2023, the aforesaid Action Taken Report is being hereby filed.

28/2/23

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Aligarh

संलग्नक-1

**मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, (पूर्व नाम–मै0 गांधी ईंट उद्योग), ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ की संयुक्त निरीक्षण आख्या।**

सन्दर्भित ईंट भट्ठा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 03.02.2023 को नायब तहसीलदार, खान अधिकारी एवं सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री जगवीर सिंह (मुनीम) उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। ईंट भट्ठे को मै0 गांधी ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के नाम से बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच63514/सी–4/सामान्य–II-755/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है तथा बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या –एच79760/सी–4/ईट–1036/बन्दी/2022 दिनांक 11.08.2022 के द्वारा मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के नाम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त दोनों बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच86559/सी–4/ईट–1035/पर्या0 क्षति0/2022 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा ईट भट्ठे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 4,12,500/– (रू0 चार लाख, बारह हजार, पांच सौ मात्र) अधिरोपित किये गये है। ईंट भट्ठे का पुनः निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ के पत्र संख्या–424 (1–8)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से जारी पत्र के अनुक्रम में दिनांक 24.02.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री जगवीर सिंह (मुनीम) उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा के आस–पास कच्ची ईंट पथाई का कार्य होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग–8 लाख कच्ची ईंट की पथाई की जा चुकी है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की ट्रेंच में लगभग–50 हजार कच्ची ईंट भरी हुई पायी गयी। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया। ईंट भट्ठे पर लगभग–25 हजार पक्की (रेड ब्रिक्स) पायी गयी।

निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईंट भट्ठे के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 एवं 11.08.2022 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी दशा में ईंट भट्ठे का संचालन न किया जाये। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि को कच्ची ईट पथाई का कार्य रोकने हेतु निर्देशित किया गया।

संयुक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

24.02.23

(उपेन्द्र प्रसाद)
अवर अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़।

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़।

(सतीश कुमार)
खान अधिकारी
अलीगढ

(मयंक गोयल)
नायब तहसीलदार
तहसील–इगलास,
अलीगढ़

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)उ0प्र0
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़।

2

संलग्नक-2

## बन्दी आदेश का अनुपालन

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच63514/सी–4/सामान्य–II–755/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा मैo ओ.बी.आई. ब्रिक्स ग्रा० कासमी तह० इगलास अलीगढ़ को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। उक्त ईंट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन इगलास के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 21/02/22 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठ के प्रतिनिधि के रूप में श्री जगवीर सिंह (मुनीम) मो० न० 9761185677 उपस्थित थे। उक्त ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 21/2/22 को बन्द करा दिया गया है। बन्दी आदेश की प्रति ईंट भट्ठे के प्रतिनिधि श्री जगवीर सिंह (मुनीम) को एवं सम्बन्धित थाना इगलास के प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार (उपनिरीक्षक) मो. नं. 7800756581 को प्राप्त करा दी गयी है।

जगवीर सिंह 21/02/022
भट्ठा प्रतिनिधि

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष/प्रतिनिधित 21/2/22

उपजिलाधिकारी /प्रतिनिधि

Scanned with OKEN Scanner

3

संलग्नक 3

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक: एच 66554 /सी–4/ईट–1036/पर्या0क्षति0/2022 दिनांक: 30/12/2022

सेवा में,

मै0 कृष्णा ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 गांधी ईंट उद्योग),
ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास,
जनपद–अलीगढ़।

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 63514/सी–4/सामान्य–II-755/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से मै0 कृष्णा ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 गांधी ईंट उद्योग), ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 21.09.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री शिव सिंह (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित ईंट भट्ठा निरीक्षण के समय बंद पाया गया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 20.01.2022 से दिनांक 21.02.2022 तक किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, पोर्टहाल, प्लेटफार्म आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त ईंट भट्ठे का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 21.02.2022 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 के अनुपालन में निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे का संचालन जिलास्तरीय समिति द्वारा बन्द करा दिया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र सं0–1526/ओए–360/2022 दिनांक 21.09.2022 में बन्दी आदेश जारी होने के उपरान्त भी संचालन किये जाने के कारण दिनांक 20.01.2022 से दिनांक 21.02.2022 तक कुल 33 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/- प्रतिदिन की दर से 33 दिवस हेतु कुल रू0 4,12,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 21.09.2022 के आधार पर मै0 कृष्णा ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 गांधी ईंट उद्योग), ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के विरुद्ध दिनांक 20.01.2022 से दिनांक 21.02.2022 तक कुल 33 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0 12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0 4,12,500/– (रूपयें चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 4,12,500/– (रूपये चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

03/01/23

संलग्नक-4

# क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 3009/OA-360/22/2023 दिनांक 25.02.23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

**विषयः—मै0 कृष्णा ईंट उद्योग (पूर्व नाम—गांधी ईंट उद्योग), ग्राम—कांडली, तहसील—इगलास, जनपद—अलीगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कीकी धनराशि की वसूली/जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईंट भट्ठा मै0 कृष्णा ईंट उद्योग (पूर्व नाम—गांधी ईंट उद्योग), ग्राम—कांडली, तहसील—इगलास, जनपद—अलीगढ़ को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या—एच86559 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,12,500=00 अधिरोपित की गयी है। उक्त ईंट भट्ठा द्वारा अभी तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,12,500=00 जमा नहीं किया गया है। अग्रेतर अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठे का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या—360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में विचाराधीन है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय—समय पर सुनवाई की जा रही है।

उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय से जारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिनांक 30.12.2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4,12,500=00 को भू—राजस्व वसूली की धारा के अनुरूप वसूली करने एवं वसूली की गयी धनराशि को उक्त पत्र में उल्लेखित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैक खाता संख्या—701502010002104 IFSC Code-UBINO570150 में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में भू—राजस्व विभाग/उपजिलाधिकारी, इगलास को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

सत्यानुक-5

ADM (F/R) | C/SDM Iglas for n-a bly
25/8/2

**Original Application No. 150/2020**

**Munishankar Sharma Vs. State of U.P.**

To,

1. M/s Krishna Int Udhyog,
   Village Kandali, Tehsil-Iglas, District- Aligarh
   Through Proprietor Mr. Prem Shankar Upadhaya S/o Sh. Naikram
   Village Sheora, Tehsil- Iglas
   District- Aligarh
   Uttar Pradesh

2. The District Magistrate
   Aligarh
   Uttar Pradesh

## NOTICE

Whereas the above titled Original Application was listed before the Tribunal on 22.08.2022 (copies of order, petition alongwith Joint Committee Report are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order:-

> "4. *Notice alongwith the copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- M/s. Krishna Int Udhyog, Village Kandali, Tehsil Iglas, District Aligarh through proprietor Mr. Prem Shankar Uppadhaya son of Mr. Naikram resident of village Sheora, Tehsil- Iglas, District Aligarh and District Magistrate, Aligarh requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee referred to above within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*
>
> 5. *Notice be served on the Project Proponent through District Magistrate, Aligarh and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Aligarh by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard.*
>
> 6. *List for further consideration on 12.10.2022."*

2254(?) SDM Iglas | follow up
ADM(E)
29/08/22

2. Now, take notice that the above matter will be listed on 12th **October, 2022** for further consideration, before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide order dated 22.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 25th August, 2022.

प्राप्त किया
9761447213
प्रेम शंकर
इं0 भरत स्वामी 31/09/2022

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-

29
Latitude: 27.666293
Longitude: 77.911624
Elevation: 187.47±8 m
Accuracy: 12.8 m
Time: 02-24-2023 15:18
Note: कृष्ण ईंट उद्योग काडली

Latitude: 27.66615
Longitude: 77.911375
Elevation: 183.63±8 m
Accuracy: 13.7 m
Time: 02-24-2023 15:17
Note: कृष्ण ईंट उद्योग काडली

31
Latitude: 27.665639
Longitude: 77.911043
Elevation: 182.4±5 m
Accuracy: 12.1 m
Time: 02-24-2023 15:16
Note: कृष्ण ईंट उद्योग काडली
Powered by NoteCa

Latitude: 27.665382
Longitude: 77.911277
Elevation: 189.16±6 m
Accuracy: 19.5 m
Time: 02-24-2023 15:16
Note: कृष्ण ईंट उद्योग काडली
Powered by NoteCam

Latitude: 27.665316
Longitude: 77.911242
Elevation: 184.75±5 m
Accuracy: 11.0 m
Time: 02-24-2023 15:22
Note: कृष्ण ईंट उद्योग कासली

Latitude: 27.665425
Longitude: 77.911314
Elevation: 190.94±7 m
Accuracy: 7.4 m
Time: 02-24-2023 15:12
Note: कृष्ण ईंट उद्योग काडली
Powered by NoteCam

Latitude: 27.665363
Longitude: 77.911244
Altitude: 127.2±35 m
Accuracy: 7.0 m
Time: 02-24-2023 15:11
Note: कृष्ण ईंट उद्योग काडली

28/4/23
संलग्नक-7

कार्यालय खान अधिकारी अलीगढ़

संख्या– 479 /डी0एल0आर0सी0 दिनांक 28 फरवरी, 2023

**नोटिस**

ईट भट्ठा संचालक–
मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम काण्डली
(पूर्व नाम–मै0 गाँधी ईंट उद्योग),
तहसील–इगलास जिला अलीगढ़।

उपरोक्त ईंट भट्ठे के विरूध्द शिकायत प्राप्त होने पर सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़, खान अधिकारी, अलीगढ़ एवं नायब तहसीलदार, तहसील इगलास (अलीगढ़) के द्वारा दिनांक 03.02.2023 को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण आख्या दिनांक 03.02.2023 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया, ईट भट्ठा मै0 गॉधी ईट उद्योग, ग्राम काण्डली तहसील इगलास जिला अलीगढ़ के विरूध्द बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच63514/सी–4/सामान्य–।।–755/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है तथा बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच79760/सी–4/ईट–1036/बन्दी/2022 दिनांक 11.08.2022 के द्वारा मै0 कृष्णा ईट उद्योग, ग्राम कांडली तहसील जनपद–अलीगढ़ के नाम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त दोनों बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी हैं। बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच86559/सी–4/ईट–1035/पर्या0 क्षति0/2022 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा ईट भट्ठे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि रू0 4,12,500/– अधिरोपित किया गया है।

स्थल निरीक्षण के समय आपके प्रतिनिधि श्री जगवीर सिंह (मुनीम) उपस्थित रहे, जिन्हें उक्त ईट भट्ठे के विरूध्द उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 एवं 11.08.2022 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा किसी भी दशा में ईट भट्ठे का संचालन न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थल पर लगभग तीन लाख कच्ची ईट पथी हुयी पायी गयी तथा कच्ची ईटों के पथाई का कार्य हाता हुआ पाया गया।

आपके ईट भट्ठे के विरूध्द उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त आपके द्वारा मिट्टी का खनन करके लगभग तीन लाख ईटों की नियम विरूध्द पथाई करायी गयी है। आपके द्वारा उपरोक्त ईट भट्ठे का बिना विनियमन शुल्क जमा किए तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल/वायु की बिना सहमति प्राप्त किए मिट्ठी का खनन कर ईटों की पथाई की गयी है, जो उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 में उल्लिखित नियमों तथा शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का उल्लंघन है। चूँकि आपका ईट भट्ठा 23 पाये गये हैं, इसलिए 23 पाये का विनियमन शुल्क 1,83,170/– एवं अन्य शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह में खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, अलीगढ़ में उपस्थित होकर कारण बतायें कि आपसे उपरोक्त धनराशि क्यों न वसूली जाय ? यदि आपको उत्तर नियत अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उपरोक्त नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदानुसार आपके विरूध्द उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु वसूली मॉग पत्र निर्गत कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

28.02.2023
खान अधिकारी,
खनन विभाग, अलीगढ़

संख्या–व–दिनांक–उपरोक्त

प्रतिलिपि– तहसीलदार, इगलास जिला अलीगढ़ को नोटिस दो प्रति में इस अनुरोध के साथ कि एक प्रति सम्बन्धित पर तामील कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित प्राप्त कर इस कार्यालय को वापिस करने का कष्ट करें।

खान अधिकारी,
खनन विभाग, अलीगढ़